

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत..... न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैंथल.....

किस्म मुकदमा नं० रामनाथ बनाम राजु सरकार
दावा

तारीख हुक्म हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

14/7/25 आज PO साहब अन्य काम में/मीटिंग/
दौरे पर/बार द्वारा कार्यस्थगित होने से
आलाप पेशी दी गई। गत आदेशों की
पालना में दिनांक 18/8/25 को पेश हो।

18/8/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित हैं।
वहस हेतु समय चाहा गया। वहस हेतु न्यायाधीश
में अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 26/9/25
को पेश हो।

26/9/25 पत्रावली पेश हुई। वादी गण मय अधिवक्ता
अनुपस्थित हैं। वादीगण व वादीगण के अधिवक्ता
को न्यायालय में बार-बार कलकल मवाज
दिलवाई गई, परन्तु न्यायालय समय तक कोई
भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अतः
वादीगण का वाद आदेश 9 नियम 8 के तहत
अदम हाजरी व अदम पेशी में खारिज
किया जाता है। प्रकरण कसल सुका होकर
नक्कल से काम हो तथा दफ्तर दारखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
सैंथल